संख्या-219/2019/2764/26-3-2019-3(15)/2007टी.सी.-।

प्रेषक

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 14अक्टूबर 2019

विषय: **उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 21.12.2016 दिनांक 22.12.2016 एवं दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज में योजित रिट(सी) संख्या-27122/2019 गोरख प्रसाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया व 02 अन्य में दिनांक 16.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-229/2016/436 मंत्री/26-3-2016-3(1)/2016 टी.सी. दिनांक-21.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-234/2016/297 सी.एम./26-3-2016-3(15)/2007 दिनांक-22.12.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः मझवार समुदाय के पात्र व्यक्तियों को गोड़िया/ मल्लाह आदि पिछड़ी जाति बताकर उन्हें मझवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है एवं प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरह, गोड़िया, माँझी तथा मछुआ) को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

2. उक्त शासनादेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-2129/2017 डा0बी0आर0 अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जन कल्याण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.01.2017 को पारित अन्तिरम आदेश के अनुपालन में उक्त शासनादेश दिनांक 21.12.2016 एवं दिनांक-22.12.2016 को अग्रिम आदेशों तक शासनादेश संख्या-14/2019/33रिट/26-3-2017-3(15)/2007, दिनांक-27.01.2017 द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

3. प्रश्नगत जनहित रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-29.03.2017 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया:-

> Respondents are directed to file counter affidavits within eight weeks from today. Liberty to the peritioner to apply to hearing of the petition immediately thereafter.
> Applications for intervention to be heard as and when hearing of the writ petition takes place. It is open for all intervenors to file conuter affidavits, if they so desire and are advised, before the next date. In the event, any caste certificates are issued pursuant to the order impugned, those certificates shall be subject to the outcome of the writ petition.
> It is open to the petitioner to add all such persons as party respondents, in whose favour caste certificates have been issued.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अतएव मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक 29.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश सं0-153/2019/2580/26-3-2019-3(15)/2007 टी.सी.-। दिनांक-24.06.2019 द्वारा आपको निर्देश निर्गत किये गये थे।

4. उक्त शासनादेशों दिनांक 21.12.2016, दिनांक 22.12.2016 एवं दि0 24.06.2019 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट(सी.) संख्या-27122/2019 गोरख प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व 02 अन्य योजित की गयी, जिसमे दि. 16.09.2019 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया है:-

1. It is contended that benefit of reservation to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class can be made available only to those caste which are mentioned in Presidential Notification and State Government has no authority to add or subtract anyone or to clarify any entry in Presidential Notification so as to include or exclude any particular caste which is not specifically mentioned in the said order and State Government's impugned orders dated 22.12.2016, 21.12.2016 and 24.06.2019 (Annexures-2, 3 and 4 respectively to writ petition) are wholly without jurisdiction.

2. Learned Standing Counsel appearing for Respondents-2 and 3 as well as learned Counsel appearing for Union of India, pray for and are allowed three weeks time to file counter affidavit. Let Respondent-3 shall also file a personal affidavit to explain as to under which provision aforesaid Government Orders have been issued.

3. Until further orders of this Court, we clarify that caste certificate should be issued strictly in accordance with Presidential Notification issued in respect of State of U.P. and no certificate shall be issued pursuant to Government Orders dated 22.12.2016, 21.12.2016 and 24.06.2019 (Annexures-2, 3 and 4 respectively to writ petition), if caste specified therein are not mentioned specifically in Presidential Notification applicable to State of U.P.

5. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.09.2019 को पारित उक्त अंतरिम आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-229/2016/436 मंत्री/26-3-2016-3(1)/2016 टी.सी. दिनांक-21.12.2016, शासनादेश संख्या-234/2016/297 सी.एम./26-3-2016-3(15)/2007 दिनांक-22.12.2016 व शासनादेश संख्या-153/2019/2580/26-3-2019-3(15)/2007 टी.सी.-। दिनांक-24.06.2019 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

अतएव राष्ट्रपति अधिसूचना के अनुरूप ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0-219/2019/2764 (1)/26-3-2019तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/नियुक्ति व कार्मिक/पिछड़ा वर्ग कल्याण/ राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री मनीष गोयल, अपर महाधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
3. निदेशक,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
4. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।